



समझौता-ज्ञापन
वर्ष 2024-25
Memorandum of Understanding
Year 2024-25
(Reviewed & Final)

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Housing and Urban Development Corporation Limited

तथा

and

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Housing & Urban Affairs
Government of India

कोर-7ए, हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
दूरभाष: 24649610-23, फैक्स: 24625308
Core 7-A, HUDCO BHAWAN, INDIA HABITAT CENTRE, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003
Telephone: 24649610-23, Fax: 24625308

Housing & Urban Dev. Corporation Ltd. (Consolidated) – Reviewed MoU 2024-25

S.No.	Name of Parameter	Unit	Weightage	Target 2024-25
1	Revenue from Operations	Rs. Cr.	5	9514
2	EBTDA as percentage of Revenue	%	10	35.90
3	Return on Net Worth	%	10	14.00
4	Return on Capital Employed	%	5	12.32
5	Asset Turnover ratio	%	5	9.67
6	Loans disbursed to Total Funds Available	%	18	100.00
7	Overdue Loans to Total Loans	%	10	2.46
8	NPA to Total Loans	%	10	0.35
9	Cost of raising funds through Bonds as compared to similarly rated CPSEs	BPS	5	-5.93

10	Acceptance/ Rejection of Invoices of Goods & Services through TReDS Portal within Specified time. (Achievement & Evaluation of this parameter shall be done as per DPE's OM No.M-03/0003/2020-DPE(MoU), dated 22.07.2024 as given below)	%	5	100
	i) Onboarding of CPSE on all operating TReDs portals.		1	
	ii) Integration of CPSE's enterprise resource planning (ERP) or vendor invoice management (VIM) system with GeM portal.		2	
	iii) Timely payment to MSE vendors within 45 days from the appointed day i.e. - From the date of delivery of goods or rendering of services; or - Where any objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of good or services within fifteen days from the day of the delivery of goods or the rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier.		2	
11	Procurement from GeM as per approved procurement plan	%	2	100
12	Total Return to Shareholders	%	15	100
		Total	100	

Notes:

- Vision provided by the administrative Ministry is also considered for Benchmarking.
- TRS parameter will be benchmarked to BSE 500 Index and the proportionate marking for achievement as per benchmarked range.
- Proportionate marks for achievement of 50% to 100% Targets except for the parameter on TRS.
- No marks for achievement below 50.00% of Targets.

Compliance parameters for 2024-25(Reviewed)			
S.No.	Parameter	Marks	Source/ Verification
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs.	-1	Administrative Ministry
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as: (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency	-3	Administrative Ministry on the basis of CAG/ Statutory/ Secretarial Audit Report(s)
3	Procurement of goods or services through MSEs as % of Total procurement of goods and services – 25 %	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
4	Procurement of goods or services through SC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services – 4%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
5	Procurement of goods or services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services – 3%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
6	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)	-1	Administrative Ministry

System Generated - MoU Dashboard

As per DPE email dated 02.08.2024, the reviewed MoU is an addendum to the already e-signed MoU (on 20.07.2023) and therefore, need not be e-signed again.

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
समीक्षित समझौता जापन 2024-25 - (समेकित)

क्र.सं.	मापदण्ड का नाम	ईकाई	अंक	लक्ष्य 2024-25
1.	प्रचालनों से राजस्व	रु.करोड़ में	5	9514
2.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	%	10	35.90
3.	निवल मूल्य पर प्राप्ति	%	10	14.00
4.	प्रयुक्त पूंजी पर प्राप्ति	%	5	12.32
5.	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	5	9.67
6.	कुल उपलब्ध निधियों के प्रति संवितरित ऋण	%	18	100.0
7.	कुल ऋणों पर अतिदेय ऋण	%	10	2.46
8.	कुल ऋणों पर एनपीए	%	10	0.35
9.	समरूप रेटिंग वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की तुलना में बांड्स के माध्यम से निधि अर्जित करने की लागत	आधार अंक (बीपीएस)	5	-5.93
10.	निर्धारित समय के भीतर टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं के इनवाँइस को स्वीकृत/अस्वीकृत करना। (दिनांक 22.07.2024 के डीपीई के कार्यालय जापन सं.एम-03/0003/ 2020-डीपीई (एमओयू) के अनुसार इन पैरामीटर की उपलब्धियां एवं मूल्यांकन निम्नानुसार है)	%	5	100.00
	i)	सभी संचालित टीआरईडीएस पोर्टल पर सीपीएसई को शामिल करना	1	
	ii)	सीपीएसई के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) या वेंडर इनवाँइस	2	

		मैनेजमेंट (VIM) प्रणाली को जैम (GeM) पोर्टल के साथ एकीकृत करना			
	iii)	नियत दिन से 45 दिनों के भीतर MSE विक्रेताओं को समय पर भुगतान करना		2	
		- समान उपलब्ध करवाने या सेवाएं प्रदान करने की तिथि से; या			
		- जहाँ खरीददार द्वारा समान और सेवाओं की स्वीकृति के संबंध में कोई लिखित आपत्ति समान उपलब्ध करवाने या सेवाएं प्रदान करने के दिन से 15 दिन के भीतर की जाती है, उस दिन आपूर्तिकर्ता द्वारा इस प्रकार की आपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है ।			
11.		अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जैम (GeM) से खरीद	%	2	100.00
12.		शेयरधारकों को कुल रिटर्न	%	15	100.00
			कुल	100	

टिप्पणी :

- उपलब्धियों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बताए गए लक्ष्यों पर भी विचार किया जाता है ।
- टीआरएस पैरामीटर को बीएसई 500 इंडेक्स के आधार पर बेंचमार्क किया जाएगा और बेंचमार्क रेंज के अनुसार टीआरएस उपलब्धि के लिए आनुपातिक अंकन किया जाएगा।
- टीआरएस पर मापदण्ड के अतिरिक्त 50%से 100%तक के लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए अनुपातिक अंक ।
- लक्ष्यों के 50.00% से कम की प्राप्ति के लिए कोई भी अंक नहीं हैं ।

2024-25 के लिए अनुपालन पैरामीटर - (समीक्षित)

क्र.सं.	मापदण्ड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1.	सीपीएसईएस द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर जारी किए गए डीपीई दिशान्दिश	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2.	कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों (अथवा सेबी(एलओडीआर) की सूचीबद्ध इकाइयों के मामले में बताए गए नियमों) का अनुपालन जैसे : (i) निदेशक मंडल का संयोजन (ii) बोर्ड समितियाँ (लेखा समिति इत्यादि) (iii) बोर्ड की बैठक बुलाना (iv) संबंधित पक्ष लेन-देन (v) प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता	-3	सीएजी/सांविधिक/सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट(एस) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3.	वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के % के तौर पर एमएसईएस (MSEs) के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद :25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के % के तौर पर अनु.जा./अनु.ज.जा. सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद :4%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद के % के तौर पर महिला सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद :3%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6.	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार के लिए किए उठाए गए कदम एवं पहलें (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सुझाए गए लक्ष्य)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय

सिस्टम जनरेटिड - एमओयू डैशबोर्ड

दिनांक 02.08.2024 के डीपीई मेल के अनुसार समीक्षित समझौता ज्ञापन पहले से ही ई-हस्ताक्षरित (20.07.2023 को) समझौता ज्ञापन का एक परिशिष्ट है तथा इसलिए इसे पुनः ई-हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है।